IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एशिया महादीप से या पश्चिमी देश महिलाओं के साथ किया जाने बाल व्यवहार

1Vijay Nagar, 2Mrityunjay Kumar Rai
1LL.M. 3rd Semester Student, 2Assistant professor
1MBSPG COLLEGE GANGAPUR VARANASI ,
2MBSPG COLLEGE GANGAPUR VARANASI

प्रस्तावाना– एषिया महादीप से या पष्चिमी देष महिलाओं के साथ किया जाने बाल व्यवहार को ही बलात्कार माना जाता है। लेकिन पुरुशो के साथ किये गये दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा पर उतना ध्यान नही जाता है या वैष्विक समाज में रहने वाले लोगो की मानसिकता पुरुशो को लेकर थोड़ी कठोर है। यह उपधारणा समाज में कुछ हिस्सो में कायम है लेकिन बदलते समाज में पुरुशो के साथ बलात्कार को अब आम तौर पर अपराध माना जाता है और यह पहले की तुलना में विषेश चर्चा का विशय रहा है।

महिलाओं की तुलना में पुरुशो द्वारा यौन षोशण का रिपोर्ट करने की संभावना बहुत ही कम होती है। लोगों में धारणा है कि पुरुशो का यौन हिंसा या बलात्कार अभी भी वर्जित है औविशम लैगिंक और समलैगिंक के बीच यन नकारात्मक अर्थ है। यौन हिंसा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा अनुभव लिए गए यौन हिंसा या दुर्व्यवहार बलात्कार की रिपोर्ट करना मुष्किल हो सकता है। खास कर एक पुरुश प्रधान समाज मे उन्हें षर्मे महसूस हो सकता है कि लोग उनके यौन अभिविन्यास पर रुक करेगें या उन्हें समलैंगिक बालेगें। आमतौर पर अगर मर्द द्वारा यौन हिंसा किया गया हो या उन्हे पीड़ित होने के कारण गौर मर्द माना जा सकता है। इसलिए इनमे कम आकड़े आमा जाता है। दुर्व्यवहार या बलात्कार की रिपोर्ट करने की अनिद्धा के कारण कितने मर्दों के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार होता रहता है–

1. **बालात्कार पीड़ित पुरु□ाः**– पीड़ित पुरुश के मूल्याकंन मे चिकित्स साहित्य बहुत कम मार्गदर्षन प्रदान करता है नियम परस्पर यौन और विरोधी पक्षपाती कानून का एक भ्रामक पिक्चर है। यौन उत्पीड़न से ग्रसित व्यक्ति का उपचार महिला के समान है। अस्पतालों और विभागों मे काम करने वाले व्यक्ति को इन यौन उत्पीड़न से ग्रसित व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए।
2. **मानसिक पीड़ा और □ार्मिदगीः**– पीड़ित पुरुशों में भारी चिंता, बेचैनी, मानसिक अंसतुलन, अधिक नषा और षराब भाग, ड्रग्स लेने की आदत बढ़ जाती है। जैसे ही पीड़ित पुरुश को आत्मदहन मामले में होता है हया व लोक लाज के बजाय ऐसे मामलों में खुद को क्षति पहुचाने की प्रवृत्ति चिताजनक रुप से बढ़ जाती है।

   केवल मर्दों व पुरुशों को ही यौन हिंसा का सामना नही करना पड़ता है, बल्कि इसके साथ ही उसे समाज से छुपाने की भी कोषिष व संघर्श करना पड़ता है।

   जिसमें तेजी से खत्म होते आत्म सम्मान व विष्वास और स्वयं की रक्षा में सक्षम समझे जाने वाले एक पुरुश के रुप में अपनी पहचान को किसी तरह बचाए रखा जा सकें।
3. **जागरुकताः**– हालाकि मर्दों को हमेषा डर या बेचैनी का भय बना रहता है कि समाज में व्यक्ति या परिवार क्या सोचेगा यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति अपने आत्म सम्मान को बचाए व

बनाये रखने के लिए इंसान के लिए कठिनाई व चुनौती है। बालात्कार के षिकार व्यक्ति चाहे लैगिंक और सेक्सउल पहचान के लिए इस घटना मे कइ प्रभाव और जटिलता पैदा करते है।

दुभार्ग्य से ऐसा लगता है कि कानून पीड़ित को दोशी में एक कदम आगे रहती है यह विधि महिला पीड़ित के बदले मर्दों के पीड़ितो के न्याय पाने का अधिकार प्रदान नही करती है भारत जैसे देषों में लोक लाज के कारण पुरुशो अपने साथ हुये यौन हिंसा को परिवार व समाज के सामने लाने मे स्वयं मे एक चुनौती समझते है।

ऐसा लगता या प्रतित होता है कि कानून एक कमद आगे चलकर स्वय पीड़ित व्यक्ति को ही दोशी सिद्ध करने मे लगी रहती है राह भारत जैसे विकासषील देषो में एक प्रमुख समस्या है।

4. **भारत विधिः**— भारत में आई0पी0सी0 की धारा 377 के अनुसार बालात्कार मे षिकार एक पुरुश को रण बात को साबित करना होता है कि दूसरे मद्र ने उसके साथ संबंध बनाये थे की नही इसके जांच पड़ताल के बाद ही वह उम्मीद कर सकता है दुसरे मर्द ने उसके साथ संबंध बनाए थे कि नही तभी उसके साथ यौन हिंसा करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सकती है बालात्कार से ग्रसित व्यक्ति जब धारा 377 का सहारा लेता है तो प्रो0 सामने इसी विधि के जाल में फसने या खतरा होता है। ऐसी विधि ऐसे बालात्कारी पुरुश को कोई राहत नही देती। बिना सहमति के लेकिन लौगिंग गतिविध मे षामिल होने पर मजबूर किया गया है।

इसलिए आई0पी0सी0 की धारा 377 को कायम नही रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि किसी युवा व्यक्ति के साथ यौन हिंसा किसी भी कानून के तहत अपराध नही माना जायेगा तथा पषुओं के साथ संबंध बनाने पर अपराध नही होगा।

वर्तमान में भी पीड़ित पुरुशो के लिए पेष किए गये नये अपराधिक कानून पुरुश यौन उत्पीड़न से ग्रसित व्यक्ति को मान्यता देने मे विफल रहे है। क्योकि बालात्कार से संबोधित सभी धाराए विषेश रुप से पीड़ित को महिला के लिए विषेश रुप से प्रावधान करती है।

5. **पुरु□ाो पर यौन हमले का प्रावधानः**— अकार आज कल पुरुशो पर यौन हमले के प्रावधान करे तो वही पहले के जैसी ही घिसे पीटे प्रावधान है, पुरुशो के बारे में हमारी विधि कोई नई प्रावधान उपलब्ध नही कराती है ना कोई विषेश राहत देती है, इसलिए पिछले कई वर्शों से यौन हिंसा में प्रति प्रचलित दृश्टिकोण ने वस्तुतः महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार ध्यान दिया है। इसी बीच भारत जैसे समाज में बालात्कारी पुरुश के साथ भेदभाव किया जाता रहा है आज से नही कई वर्शों या सालो से

हालाकि यह नोट करता है कि मानवाधिकार मैनन मे कई साधन यौन हिंसा को संबोधित करता है। जबकि यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को स्पश्ट रुप से उस रेखा के बराबर का समझते है। यौन हिंसा का षिकार पुरुश की आवृत्ति उसमे यौन हिंसा को दर्षाता है सबूत के प्रकाष में कि पुरुशो को पीड़ित का एक छोटा लेकिन बड़ा प्रतिषत है। यह उन पदानुक्रमों को मजबूत करता है जो कुछ पीड़ितो में दुसरे की तुलना मे अधिक सहानुभूति पूर्व मानते हैं।

अतः में यह बालात्कार के लिए महिला विषिश्ट दृश्टिकोण में व्यवहार मे होने वाले प्रभाव को रेखाकिंत करता है और अन्य अधिकार ढाचो और अंतराश्ट्रीय कानून के क्षेत्रों की इषारा करता है।

6. **अमूर्तः**— यौन हिंसा का षिकार पुरुश या व्यक्ति लोग अक्सर युवा अवस्था के दौरान ही षिकार से ग्रसित होते है तथा अवसाद, समाजिक अलगाय यौन संचारण रोग वह मादक पदार्थों जैसे नषीले वस्तु—वस्तुओं का सामना करते है प्रमाण बताते है बच्चे या व्यक्ति अपने साथ हुए दुव्यवहार को बताने के लिए हिचकिचाने है तथा कभी—कभी उस बात को छिपाने के लिए लम्बे समय तक दुव्यवहार को पुरी तरह से ग्रस्त होते है।

इससे अधिकत्तर महिलाये व लड़कियो के साथ दुव्यवहार का सामना करना पड़ता है तथा उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न को बेहतर तरीके से दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसमें कही न कही महिलाओं व लड़कियो के समान स्तर पर लड़के भी प्रभावित होते हैं।

रसेल ने कहा ''नाजुक परिस्थितियों मे रहने वाले बच्चे यौन हिंसा के प्रति विषेश रुप से संदेहनषील होते है'' हम सघर्श के स्थान पर भंयकर ताडव को देख रहे है जब बालात्कार और लिंग आधारित हिंसा को अक्सर युद्ध में हथियार के रुप में इस्तेमान किया जा सकता हैं।

आकड़ो के अनुसार बचपन में होने वाले यौन हिंसा की अध्किाष घटनाए किषोरा व युवा अवस्था के दौरान होता है जिसमें कम से कम आयु से लेकर बडत्रे से बड़े आयु के व्यक्ति को इस यौन हिंसा का षिकार होना पड़ता है।

7. **यूनिसेफः**— बच्चो के विरुद्ध योन हिंसा को पहली बार कौषिक और क्षेत्रीय अनुमान के अनुसार जो बालिका दिवस से पहले प्रकाषित हुआ और वो भी विषेश रुप से किषोरियों के मामले में उल्लंघन के पैमाने को उजागर करता है जिसका परिणाम अक्सर जीवन भर के लिए होता है।

जब यौन उत्पीड़न का ष्किार गैर संवर्ग रुपो जैसे ऑनलाइन या मौखिक दुर्व्यवहार को षामिल किया जाता है तो प्रभावित लड़कियो और महिलाओं की संख्या वैष्विक स्तर पर 650 मिलियन या 5 मे से 1 हो जाती है जो हिंसा और दुर्व्यवहार के सभी रुपों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक रोकधाम और समर्थन रणनीतियों की आवष्कता को रेखाकित करता है।

'अनुमानो से पता चलता है कि बच्चो के खिलाफ भगौलिक, सास्कृतिक और आर्थिक सीमाओं से परे व्यापक है। आकड़ों के अनुसार बचपन मे होने वाली यौन हिंसा की अधिकांष घटनाए किषोरा अवस्था के दौरान होती है ओरव भी 14 से 17 साल के आयु मे बच्चो मे साथ यह यौन हिंसा उत्पीड़न के मामले में काफी वृद्धि होती है । अध्यायनो से पता चलता है कि यौन हिंसा का अनुभव करने वाले बच्चो के बार–बार दुर्व्यवहार का किषार होने की सम्भावना अधिक होती है किषोरा अवस्था में दौतून यौन हिंसा के षिकार लोग अक्सर व्यस्क होने तक यौन हिंसा के आधात को झेलते है।

8. **मर्द का मर्द के साथ दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़नः**— मर्द का मर्द के साथ संबंध या यौन उत्पीड़न को बहुत ही गलत या कंलकित माना जाता है। समाज मे या देष में अगर पुरुशो के साथ बलात्कार के मामले मे अगर देखा जाए तो 100 मे से 1 या 2 में कम पुरुशो की उत्पीड़न या बलात्कार की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। हमारे संविधान में पुरुशो के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार या बलात्कार के लिए कोई विषेश कानून नही है या अप्रयाप्त है। क्योकि हमारे समाज में पुरुशो को षुरु से ही कठोर माना जाता रहा है कि पुरुशो के साथ कोई बलात्कार नही हो सकता है क्योकि पुरुश स्वयं की रक्षा करने में समर्थ है। यह हमेषा सही नही हो सकता है युवा बच्चे बलात्कारियो के निगाहों मे कमजोर हो सकते है लेकिन वास्तव में यह कठोर व मजबूत होते है बलात्कारी बच्चो का दुरुपयोग करने के लिए अपने पास मौजूद किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं।

9. **पुरु□ा की चाह क्या सेक्स ही होता है**— हमारे पुरुश प्रधान देष में जब किसी पुरुश के लिंग उत्तेजना व यौन उत्तेजना के चरम बिंदू पर पहुचने पर आनन्द की अनुभूति होती है तो वह किसी भी यौन गति विधि के लिए इच्छुक है और सुख आनंद की अनुभूति ले रहा है। यौन उत्तेजना का मतलब यह नही है कि व्यक्ति सेक्स की इच्छा रख रहा है लोगों की यह भी धारणा या सोच है कि व्यक्ति को महिलाओं की तुलना में दुर्व्यवहार के अनुभव से कम चोत लगता है।

10. **आक्रमण से यौन अभिविन्यास का प्रभावित होनाः**— अगर युवा अवस्था में सिकी पुरुश या बाल्या अवस्था में किसी को यह बताना मुष्किल हो सकता है कि आपने बलात्कार या यौन उत्पीड़न को महसूस मिकया डर हो सकता कि षायद आपकों कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े या लोगो को विष्वास दिलाना कठिन होगा। हमारे भारत जैसे पुरुश प्रधान समाज मे चले आ रहे कई वर्शों के चलन दोस्त समाज परिवार व समुदाय के सामने खुलासा होना कठिन हो सकता है कि उनके साि गलत दुर्व्यवहार होना संभव है। विषेश तौर पर अगर किसी महिला या लड़की द्वारा किया गया हो।

11. **पुरु□ा बलात्कारः— 20वीं सदी में इग्लैण्ट व बेल्स में उत्तर जीवी , सहायता या कानून की परखः**— जून 1995 में पहली बार आीजवन जेल की सजा एंड्रयू रियडर्स को पुरुशो के साथ दुर्व्यवहार के प्रयास के लिए सुनाई गई थी अगर देखा जाए तो यौन उत्पीड़न मे लम्बी इतिहास लम्बी सजा ाके पभावित किया है। जिससे जज को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। आपराधिक न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 1994 ने बलात्कार की

परिभाशा को पूर्ण करने हुए इसमें महिला व व्यक्ति दोनो पीड़ित को षामिल किया। जिससे की पुरुशो के विरुद्ध होन वाले दुर्व्यवहार को अब गम्भीरता से लिया जा रहा रहा है। बिट्रेन जैसे देषा मे आपराधिक न्याय और सार्वजनिक व्यस्था अधिनियम 1994 ने पुरुशो के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार मे बदलाव किए गए जिसमें बुगरी को कानून से हटा दिया गया और बिना सहमति के गुदा और योनि लिंग प्रवेष षब्द को जोड़ा गया।

इसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से यूके मे पहली बार पुरुश के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार या बलात्कार को मान्यता प्रदान करने की कोषिष की गई।

12. **भारतीय कानून और पुरु□ा बलात्कारः**— अगर भारतीय कानून की चर्चा करे तो यहा स्पश्ट रुप से आई0पी0सी0 की धारा 375 बलात्कार के बारे में कहती है कि यह धाराओं में केवल महिलाओं के बलात्कार के बारे में बताती है किसी भी महिला या लड़की के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती धोखा देकर, गलत बयानी करके या नषीला पदार्थ खिलाकर या मानसिक स्थिति से स्वस्थ्य यन होने और मामले में यौन सम्बन्ध बनाना इसमें दो निश्कर्श निकलती है 1. बलात्कार केवल पुरुश ही कर सकता है। 2. और बलात्कार की षिकार केवल महिलायें ही होगी।

पूरी विचारधा गे है वह केवल महिलाओं के बारे मे ही चर्चा कर रही है पुरुश के लिए कोई विषेश नियम नही हे कि एक व्यक्ति के साथ लड़की बलात्कार कर सकती है और एक पुरुश दूसरे पुरुश के साथ बलात्कार कर सकता है। इसमें केवल बगरी एक्ट 1533 पर आधारित आई0पी0सी0 की धारा 377 है। जहॉ अप्राकृतिक सेक्स ईष्वर के विरुद्ध आये है इस धाराओं को छोड़कर सभी कानून महिलाओं में यौन उत्पीड़न की बात करती है बच्चो के लिए पास्को एक्ट को बनाया गया है लेकिन पुरुशों के लिए ऐसा कोई कानून नही है अगर बच्चो के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है तो व्यस्क पुरुशो के लिए ऐसा क्यो नही किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण भारत में पुरुशो को प्रधान माना जाता है की पुरुश को दर्द की अनुभूति नही होती है और के वल वह अपनी षक्ति का प्रयोग महिलाओं में उत्पीड़न के लिए ही करते है।

भारत जैसे पुरुश प्रधान देष में केवल योनि मे लिंग मेदुन या कोई वस्तु डालने तक ही सीमित है इसी कारण से पुरुशो के प्रति भी बलात्कार जैसे यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे है। बहुत ही कम मामले में ही पुरुशो के साथ बलात्कार किया गया जा सकता है।

नि□क□ाः— हमने कई वर्शो में देखा या महसूस किया की भारत जैसे देष में बलात्कार या यौन उत्पीड़न से संबधित कानूनों को समाज व देष की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए विधान मण्डलों द्वारा समय–समय पर उसे संषोधित किया गया है।

अगर चर्चा करे पष्चिमी देष या एषिया महादीप की तो वहां पर ऐसा नही हे भी पुरुश सेफ है वहां भी पुरुशों के साथ बलात्कार या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है हालाकि वास्तव में यह पाया गया है कि जो यौन उत्पीड़न या बलात्कार को आम तौर पर पुरुशों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के रुप में देखा जाता है लेकिन सच्चाई कुछ अलग है महिलाओं की तुलना में पुरुश की भी यौन उत्पीड़न या बलात्कार की एम लंबी संख्या मौजूद हैं

पुरुशों के साथ बलात्कार को समाज में वर्जित निच निगाहों से देखा देखा जाता है जिसका विशम लैगिंक पुरुशों के बीच नकारात्मक अर्थ है पुरुशों के साथ यौन हिंसा को मर्दानगी और पौरुश में नजर से देखा जाता है।

सन्दर्भः— 1. भारत में कानून को सह मान्यता देनी चाहिए कि पुरुशा का भी षोशण किया जा सकता है (सेटर फॉर सिविल सोसाईटी) 2014